बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–04–20 / 2023(स्वा0) ........................ / पटना, दिनांकः–..............................................

सिविल सर्जन, जमुई के पत्रांक–2201 दिनांक–22.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि डॉ० प्रियंका रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करही, सिकन्दरा, जमुई दिनांक–03.10.2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–516(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में अनुबंध में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक–973(9) दिनांक–15.09.2023 एवं 1073(9) दिनांक–03.10.2023 द्वारा डॉ० रंजन से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में उनका प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। डॉ० रंजन द्वारा अपने प्रत्युत्तर में कहा गया कि विभागीय पत्रांक–969(2) दिनांक–18.07.2022 के आलोक में दिनांक–19.07.2022 को योगदान दिया एवं विभागीय आदेश सं०–497(3) दिनांक–04.09.2022 द्वारा अनापत्ति प्राप्त कर उच्च शिक्षा हेतु दिनांक–21.11.2022 को विरमित हो गयी। इनकी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि दिनांक–03.10.2021 से 25.05.2022 तक है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामलें की सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ० रंजन के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने एवं डॉ० रंजन को दिनांक–03.10.2021 से दिनांक–25.05.2022 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिया जाएगा का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–972(9) दिनांक–04.10.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मॉग की गयी है। आयोग के पत्रांक–3766 दिनाक–08.01.2025 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

6. तद्नुसार डॉ० प्रियंका रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करही, सिकन्दरा, जमुई को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने एवं डॉ० रंजन को दिनांक–03.10.2021 से दिनांक–25.05.2022 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिए जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

**ह0 / –**

**(उपेन्द्र राम)**

**सरकार के अवर सचिव।**

**ज्ञापांकः–9 / आ0–04–20 / 2023(स्वा0)** ...76(9)... **/ पटना, दिनांकः–**...20.01.25...

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, जमुई / कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/01/2025

(15)

**प्रतिलिपिः**–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, जमुई/बिहार लोक सेवा अयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–डॉ० प्रियंका रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करही, सिकन्दरा, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
20/01/2025
**सरकार के अवर सचिव।**